

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 630/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)  
वास्तु हाऊसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, शाखा कार्यालय- प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ-300,  
श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो पिलर नं. 102 के सामने, सोडाला, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राम सिंह,

पता:- एफ-2, प्रथम तल, रॉयल सिटी, कालवाड़ रोड, जयपुर ।

एवं राजपुरोहितों का वास, वासनी, लूणकरण, मेड़ता, नागौर ।

एवं शॉप नं. 3,4, प्लॉट नं. 1, खातीपुरा मोड़, मरूधर विहार, खातीपुरा, जयपुर ।

एवं फ्लेट नं. एफ-2, प्रथम तल, संपरिवर्तित प्लॉट नं. सी-33, स्कीम रॉयल, जयपुर ।

2. श्रीमती सुमन देवी,

पता:- एफ-2, प्रथम, रॉयल सिटी, कालवाड़ रोड, जयपुर ।

एवं राजपुरोहितों का वास, वासनी, लूणकरण, मेड़ता, नागौर ।

एवं फ्लेट नं. एफ-2, प्रथम तल, संपरिवर्तित प्लॉट नं. सी-33, स्कीम रॉयल, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित-

1. श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।


आदेश

दिनांक 10.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुमन देवी के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. एफ-2, प्रथम तल, संपरिवर्तित प्लॉट नं. सी-33, आवासीय योजना रॉयल सिटी, ब्लॉक सी, ग्राम माचवा, कालवाड़ रोड, जयपुर, क्षेत्रफल बिल्टअप एरिया 650 वर्गफीट एवं सुपर बिल्टअप एरिया 815 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 10,75,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

- धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 10,75,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 10,50,234/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.05.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
  4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सुमन देवी के स्वामित्व की संपत्ति फ्लैट नं. एफ-2, प्रथम तल, संपरिवर्तित प्लॉट नं. सी-33, आवासीय योजना रॉयल सिटी, ब्लॉक सी, ग्राम माचवा, कालवाड़ रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल बिल्टअप एरिया 650 वर्गफीट एवं सुपर बिल्टअप एरिया 815 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
  6. आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर